न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/5780/2004/नागौर

1– रामेश्वरलाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण, निवासी महेराणा, तहसील डेगाना जिला नागौर।

–अपीलांट

बनाम

1– श्री रूगनाथ जी महाराज मंदिर श्री रघुनाथ जी वाके ब्राहमा घाट पुष्कर जरिए पुजारी बालकिशन पुत्र चुन्नीलाल (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1– सत्यनारायण पुत्र बालकिशन

1/2– गोविन्दनारायण पुत्र बालकिशन

1/3– हरि नारायण पुत्र बालकिशन

समस्त निवासी पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जी0एस0 लखावत, अधिवक्ता अपीलांट।

श्री राकेश अरोड़ा, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस।

निर्णय

दिनांकः– 13.02.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील

संख्या 61/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 मंदिर श्री रघुनाथजी की ओर से बालकिशन पुत्र चुन्नीलाल ने एक राजस्व वाद बाबत् इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड का न्यायालय सहायक कलक्टर, मेड़ता के न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलांट व नारायणदत पुत्र घमण्डीराम व प्रह्लाद पुत्र चुन्नीलाल के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेहराणा तहसील डेगाना जिला नागौर में अवस्थित साबिक खसरा संख्या 113 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 113/1, 113 व 113/2 कायम हुए है, उपरोक्त खैतान वादी का कदीमी काश्त व खुदकाश्त खातेदारी की रही है एवं वादी काबिज है। इन खैतान की आय से वादी की सेवा पूजा होती रही है। शुरू में चुन्नीलाल पुत्र दामोदर सेवा व व्यवस्था करते थे, अब बालकिशन करते आ रहे हैं। उपरोक्त आराजी खुदकाश्त की रही है। उपरोक्त आराजी काश्त हेतु प्रतिवादीगण सालों—साल हासिल की बदौलत देते आ रहे हैं व प्रतिवादीगण सालों—साल हासिल देते आ रहे थे एवं कब्जा भी वादी को सौंप देते थे। इस प्रकार की व्यवस्था चलती रही और वादी बीगोड़ी जमा करता आ रहा है। तत्पश्चात् संवत् 2039 से प्रतिवादीगण ने वादी को हासिल देने से मना कर दिया एवं विवादग्रस्त आराजी पर स्वयं का स्वत्व अधिकार जताने लग गए तथा गैर कानूनी तरीके से उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करा ली। इस कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावें तथा वादी को खातेदार दर्ज किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जावें। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.06.2000 द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष पेश की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.11.2004 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3— हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4— अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय,

नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2000 द्वारा तनकी संख्या 3, तनकी संख्या 6, तनकी संख्या 10 व तनकी संख्या 4 वादी के विरूद्ध निर्णित की हे। तनकी संख्या 3, 4, 6, 10 वादी के विरूद्ध निर्णित किए जाने के बाद वादी/रेस्पो0 का वाद काबिल डिक्री किए जाने योग्य नहीं था, इसके बावजूद भी वाद को डिक्री कर विचारण न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। वादी/रेस्पो0 ने अपीलांट के अलावा नारायणदत्त पुत्र घमण्डीराम व प्रह्लाद पुत्र चुन्नीलाल के विरूद्ध भी वाद प्रस्तुत किया था एवं विवादग्रस्त भूमि पर तीनों का ही कब्जा बताया एवं प्रारंभ से ही काश्त हेतु दिया जाना कहा। प्रतिवादी नारायणदत्त व प्रह्लाद का दौराने वाद स्वर्गवास हो गया व जिसके वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिए जाने से दोनों के विरूद्ध ही वाद अबैट मानकर उनके विरूद्ध खारिज कर दिया। जबकि नारायणदत्त व प्रह्लाद का स्वर्गवास होने पर वादी द्वारा उनके वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिए जाने से संपूर्ण वाद ही अबैट हो जाता है । इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि पर सभी प्रतिवादीगण का कब्जा होने से वादी का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता था चूंकि विवादग्रस्त भूमि 3 खातेदारान प्रतिवादीगण के नाम थी। प्रतिवादी/अपीलांट का अकेले का नाम खातेदारी से नहीं हटाया जा सकता। इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर दोनों अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। जब प्रतिवादी नारायणदत्त व प्रह्लाद का स्वर्गवास हो चुका था एवं उनके विरूद्ध दावा अबैट करार कर दिया था तो उन व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलांट सहित दावा डिक्री नहीं किया जा सकता था। विचारण न्यायालय ने वादी को संपूर्ण भूमि का खातेदार घोषित कर संपूर्ण भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने का आदेश देकर कानूनी त्रुटि कारित है। वादी ने प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का अपने वाद में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया जिसके अभाव में वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत काबिल खारिज किए जाने योग्य था। वादी/रेस्पो0 ने वाद के साथ दस्तावेज तो प्रस्तुत किए हैं लेकिन उनको प्रदर्श नहीं करवाए और ना ही अपनी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करवाए। वादी को बार–बार अवसर दिए जाने के बाद भी वादी ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। वादी का वाद अदम सबूत में ही खारिज किए जाने योग्य था। वादी/रेस्पो0 ने यह साबित नहीं किया कि अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है, जिसके अभाव में अपीलीय न्यायालय का यह मानना कि खासकर अपीलांट को भूमि दिए जाने से

उसको खातेदारी नहीं दी जा सकती और न ही मंदिर का नाम हटाया जा सकता किन्तु साथ ही अपीलीय न्यायला ने यह नहीं देखा कि विवादग्रस्त भूमि माफी की नहीं है व माफी समाप्त होने पर सभी अधिकार काबिज काश्तकार को मिल गए। अपीलांट को विवादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार राज0काश्त0अधि0 लागू होने के साथ ही हासिल हो गए थे जबकि वादी/रेस्पो0 ने दिनांक 18.09.1983 को अपना वाद प्रस्तुत किया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.11.2004 एवं न्यायालय सहायक कलक्टर, डेगाना द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2000 को निरस्त किया जावें तथा वादी/रेस्पो0 का वाद खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1999 पेज 200, आर0बी0जे0 2000 पेज 368, आर0बी0जे0 2010 पेज 188, ए0आई0आर0 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 3591, ए0आई0आर0 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज 227 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5— विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बहस में आगे तर्क दिया कि उक्त आराजी मंदिर मूर्ति की है जिसमें किसी को खातेदारी नहीं दी जा सकती एवं न ही प्रतिकूल कब्जे का सिद्धांत लागू होता है। खसरा गिरदावरी संवत् 2010 से 2017 में विवादित आराजी मंदिर के नाम दर्ज है । नामांतकरण संख्या 94 की प्रति से भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि मंदिर के नाम दर्ज थी जो उक्त नामांतकरण के माध्यम से मंदिर के नाम से हटाई गई है । विधिनुसार मंदिर शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमियों पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जाने जा सकते है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिसम्मत् रूप से निर्णय पारित किये है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0/वादी ने जरिये पुजारी न्यायालय सहायक कलेक्टर, डेगाना के समक्ष एक वाद विरूद्ध

प्रतिवादीगण/अपीलांटस के पेश कर कथन किया कि वादी भगवान श्री रूघनाथ जी महाराज का मंदिर ब्रह्मघाट, पुष्कर में स्थापित है, उक्त मंदिर की खातेदारी की आराजियात गांव मेहराणा, तहसील डेगाना में खेत खसरा नंबर 113, रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही–4 स्थित है । इस नंबर के मौजूदा खसरा नंबर 113/1 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 113 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 113/2 रकबा 1 बीघा 10 बने है । उक्त आराजियात वादी की खुदकाश्त खातेदारी का डोली का खेत है तथा इस खेत की आय से कदीम से वादी मंदिर की सेवा पूजा व व्यवस्था होती आ रही है । उक्त खेतों की वादी प्रतिवादी से साल दर साल हांसल पर खेती करवाता रहा है किन्तु प्रतिवादीगण ने विवादित आराजियात अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा ली है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो जवाबदावा पेश कर वाद कथनों से इंकार किया । विचारण नययालय ने वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर कुल 11 तनकीयात कायम की तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2000 के द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर डिक्री किया । विचारण न्यायालय के निर्णय का मुख्य आधार यह है कि नकल जमाबंदी संवत् 2013 से 2025 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी के खातेदार मूर्ति श्री रूघनाथजी ही है । किन्तु कब्जा काश्त नकल गिरदावरियों के अनुसार प्रवितादीगण एवं उनके पूर्वजों का रहा है । नकल जमाबंदी संवत् 2013 से 2025 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी मंदिर रूघनाथ जी की खातेदारी की रही है । मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की आराजियात पर काश्त किसी भी व्यक्ति द्वारा की जावे किन्तु कब्जा मूर्ति मंदिर का ही माना जावेगा । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.11.2004 को पारित किया जिसमें यह निष्कर्ष दिया कि –**''खसरा गिरदावरी संवत् 2010 से 2017 में यह आराजी मंदिर के नाम दर्ज है । संवत् 2018 से 2020 में भी खुदकाश्त दर्ज है । पत्रावली पर नामांतकरण संख्या 94 की प्रति है जिसके द्वारा मंदिर का नाम हटाया गया है । इसके बाद यह आराजी मंदिर के नाम नहीं रही । स्पष्ट है कि इस तरह काश्त के आधार पर अपीलांट को खातेदार नहीं दी जा सकती है**

एवं ना ही मंदिर का नाम हटाया जा सकता है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप उचित नहीं है । अपील अपीलांट खारिज की जाती है।''

8— अपील पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम मेहराणा, तहसील डेगाना की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2008 से 2027 के अनुसार खसरा सख्या 113 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि डोली श्री रूगनाथजी महाराज बएतमाम पुजारी चुनीलाल वल्द दामोदर कौम ब्राहम्ण डोलीदार का अंकन है । किन्तु जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार विवादित भूमि पर प्रहलाद जो कि चुन्नीलाल का लड़का है, उसके फौत होने पर उसके वारिसान के नाम ही अंकित की गई है । अर्थात् मूर्ति मंदिर का पूर्वनाम विलोपित कर दिया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है । वर्तमान खसरा संख्या 113 रामेश्वरलाल पुत्र प्रहलाद, कौशल्या देवी, राधादेवी, बिदामदेवी पुत्रियां स्व0 प्रहलाद, कौम ब्राहम्ण सा0देह खातेदार जरिये नामांतकरण संख्या 668 से अभिलिखित है । विधिनुसार मंदिर मूर्ति की आराजियात पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है । ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात के पूर्व इंद्राज को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है । विचारण न्यायालय ने वाद में कायम समस्त तनकीयात पर अपना स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते हैं।

9— उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं ।

10— परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.2004 एवं सहायक कलक्टर, डेगाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2000 यथावत् रखे जाते हैं तथा तहसीलदार, डेगाना को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम

मेहराणा, तहसील डेगाना के खसरा नंबर 113 का इंद्राज पूर्व जमाबंदी 2008 से 2027 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में किया जाना सुनिश्चित करावें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(रामदयाल मीणा)
सदस्य